पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, शनिवार, 04 जुलाई, 2015 ई0

आषाढ़ 13, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 172/XXXVI(3)/2015/66/2010

देहरादून, 04 जुलाई, 2015

अधिसूचना

प0 आ0–68

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) की नियमावली, 2011 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) की नियमावली, 2011 के खण्ड (ज) एवं खण्ड (ठ) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
3(ज) सेवा का सदस्य से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो इन नियमों अथवा इन नियमों के पूर्व लागू नियम अथवा आदेशों के अन्तर्गत सेवा के किसी संवर्ग के किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किया गया हो अथवा ऐसे पद को धारण कर रहा हो, परन्तु यह कि मौलिक रूप से नियुक्त इतर समस्त कर्मचारियों के विनियमितिकरण के लिये विधान सभा अध्यक्ष एक चयन समिति का गठन कर सकेंगे जो ऐसे कर्मचारियों के विनियमितिकरण हेतु सम्यक् प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही सम्पादित करेंगी।	3(ज) सेवा का सदस्य से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो इन नियमों के पूर्व लागू नियम अथवा आदेशों के अन्तर्गत सेवा के किसी सवर्ग के किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किया गया हो अथवा ऐसे पद को धारण कर रहा हो, परन्तु यह कि मौलिक रूप से नियुक्त इतर समस्त कर्मचारियों के विनियमितिकरण के लिये विधान सभा अध्यक्ष एक चयन समिति का गठन कर सकेंगे जो ऐसे कर्मचारियों के विनियमितिकरण हेतु सम्यक् प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही सम्पादित करेगी। परन्तु यह और कि अध्यक्ष द्वारा गठित विनियमितिकरण समिति की संस्तुतियों के आधार पर विनियमित किये गये ऐसे इतर कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ आधार पर नियुक्ति के फलस्वरूप सम्बन्धित पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही मौलिक रूप से सेवा का सदस्य माना जायेगा।
3(ठ) सचिवालय से सभा का सचिवालय अभिप्रेत है;	3(ठ) सचिवालय से सभा का सचिवालय अभिप्रेत है; जिसका प्रशासकीय विभाग विधान सभा सचिवालय होगा।

नियम 4 (2) (ख) का संशोधन

3. मूल नियमावली के नियम 4 के उपनियम (2) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
4(2)(ख) राज्यपाल, अध्यक्ष के परामर्श से ऐसे स्थायी और अस्थायी पद सृजित कर सकते है, जैसा वह उचित समझे, परन्तु यह कि अध्यक्ष, वित्त विभाग के परामर्श के बिना अधिकारियों/कर्मचारियों के ऐसे स्थायी पदों का सृजन छः माह से अनधिक अवधि के लिये कर सकेंगे,	4(2)(ख) राज्यपाल, अध्यक्ष के परामर्श से ऐसे स्थायी और अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वह उचित समझे, परन्तु यह कि अध्यक्ष, वित्त विभाग के परामर्श के बिना अधिकारियों/कर्मचारियों के ऐसे स्थायी पदों का सृजन छः माह से अनधिक अवधि के लिये कर सकेंगे जैसा वह सभा के कार्य के लिये आवश्यक और समीचीन समझे।

	स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	जैसा वह सभा के कार्य के लिये आवश्यक और समीचीन समझे।	परन्तु यह और कि इस प्रकार से नियुक्त कार्मिक को उक्त कालावधि के पश्चात् सचिवालय के संगठनात्मक संरचना में किसी भी संवर्ग में सृजित किये गये पदों के सापेक्ष पदों की उपलब्धता होने पर उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) की नियमावली, 2011 के नियम 3(ज) के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार विनियमित किया जा सकेगा।

नियम 25 (ग) का संशोधन

4. मूल नियमावली के नियम 25 के उप नियम (ग) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
25(ग) अवकाश, भत्तों, पेंशन इत्यादि का विनियमन–इस नियमावली के प्राविधानों के अध्यधीन, सेवा के सदस्यों की सेवा–शर्तें राज्यपाल के नियम निर्माण नियन्त्रण के अधीन साधारणतया सरकारी सेवकों के लिये लागू नियमों तथा आदेशों द्वारा विनियमित की जायेगी; परन्तु यह कि जब तक कि वित्त विभाग की सहमति से विधिवत् परिवर्तित न किया जाय, तब तक सचिवालय के विभिन्न संवर्ग के पदों का वर्तमान वेतन–क्रम वह होगा, जो परिशिष्ट 'क' में दिया हुआ है।	25(ग) अवकाश, भत्तों, पेंशन इत्यादि का विनियमन–इस नियमावली के प्राविधानों के अध्यधीन, सेवा के सदस्यों की सेवा–शर्तें राज्यपाल के नियम निर्माण नियन्त्रण के अधीन साधारणतया सरकारी सेवकों के लिये लागू नियमों तथा आदेशों द्वारा विनियमित की जायेगी; परन्तु यह कि जब तक कि वित्त विभाग की सहमति से विधिवत् परिवर्तित न किया जाय, तब तक सचिवालय के विभिन्न संवर्ग के पदों का वर्तमान वेतन–क्रम वह होगा, जो परिशिष्ट 'क' में दिया हुआ है। सेवा के विभिन्न संवर्गों के ऐसे पदों जिनकी समकक्षता वित्त विभाग द्वारा शासकीय सचिवालय के पदों के सापेक्ष स्थापित कर दी जाये तत्पश्चात् उनको देय वेतन एवं भत्ते आदि समानुरूप से सचिवालय द्वारा प्रदान किये जा सकेगें।

नियम 30(2) का संशोधन

5. मूल नियमावली के नियम 30 के उप नियम (2) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
30(2) अध्यक्ष असाधारण परिस्थितियों में और भर्ती एवं पदोन्नति समिति के परामर्श से किसी पद के लिए इन नियमों में निर्धारित अधिकतम	30(2) अध्यक्ष असाधारण परिस्थितियों में किसी पद के लिए इन नियमों में निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अतिरिक्त अन्य अर्हताओं को, शिथिल कर सकते हैं।

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
आयु–सीमा को तथा शैक्षिक अर्हता के अतिरिक्त अन्य अर्हताओं को, शिथिल कर सकते हैं।	

नियम 9 के परिशिष्ट–ख का संशोधन

6. मूल नियमावली के नियम 9 के परिशिष्ट–ख के क्र0सं0– 3, 5 एवं क्र0सं0 34 के स्तम्भ 3 एवं 4 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ– 3 क्र0सं0 3 का स्तम्भ– 3	स्तम्भ– 4 क्रसं0 3 का स्तम्भ– 4
3. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, किसी ऐसे राजपत्रित अधिकारी जिसने कम से कम 20 वर्ष ऐसी नियमित राजकीय सेवा पूर्ण कर ली हो, जिसमें न्यूनतम 10 वर्ष की राजपत्रित सेवा तथा 10 वर्ष सिविल सचिवालय में की गयी सेवा सम्मिलित हो। सेवा स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा।	4. सचिवालय के ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त उप सचिवों में से, जिन्होंने उप सचिव के पद पर न्यूनतम दो वर्ष की सेवा सहित इस संवर्ग में राजपत्रित पद पर कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा। परन्तु यह और कि पात्र अभ्यर्थी की अनुपलब्धता अथवा अपवादिक परिस्थितियों में अध्यक्ष किसी ऐसे राजपत्रित अधिकारी को सेवा स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा जो स्तम्भ– 3 के अनुसार शैक्षिक व अन्य अर्हताऐं धारण करता हो भरा जा सकेगा।

स्तम्भ– 3 क्र0सं0 5 का स्तम्भ– 3	स्तम्भ– 4 क्र0सं0 5 का स्तम्भ– 4
3. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, किसी ऐसे राजपत्रित अधिकारी जिसने कम से कम 20 वर्ष ऐसी नियमित राजकीय सेवा पूर्ण कर ली हो, जिसमें न्यूनतम 05 वर्ष की राजपत्रित सेवा तथा 10 वर्ष सिविल सचिवालय में की गयी सेवा सम्मिलित हो। सेवा स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा।	4. सचिवालय के ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त अनुसचिवों में से, जिन्होंने अनुसचिव के पद पर न्यूनतम दो वर्ष की सहित इस संवर्ग में राजपत्रित पद पर कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा, परन्तु यह और कि पात्र अभ्यर्थी की अनुपलब्धता अथवा अपवादिक परिस्थितियों में अध्यक्ष किसी ऐसे राजपत्रित अधिकारी को सेवा स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा जो स्तम्भ– 3 के अनुसार शैक्षिक व अन्य अर्हताएं धारण करता हो भरा जा सकेगा।

स्तम्भ–1

वर्तमान खण्ड (स्तम्भ– 4)

34(ख) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत में से 15 प्रतिशत सचिवालय के ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त समूह 'घ' के वरिष्ठ परिचारकों एवं परिचारकों में से, जिन्होंने हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, पदोन्नति द्वारा एवं शेष 35 प्रतिशत पदों पर स्थायी टंककों तथा ऐसे टाइपराटर मैकेनिक, साइक्लोस्टाइल मशीन आपरेटर, जिन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए पदोन्नति द्वारा।

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा संशोधित खण्ड (स्तम्भ– 4)

34(ख) कम्प्यूटर सहायक के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतो से की जायेगी :–

(क) 70 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) 25 प्रतिशत, उत्तराखण्ड विधान सभा सचिलवालय में मौलिक रूप से नियुक्त समूह "घ" के ऐसे कर्मचारियों जिनके द्वारा भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो एवं उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है। कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की–डिप्रेशन प्रति (Key-Depression) प्रति घण्टा की गति एवं एम0एस0 ऑफिस (M.S.Office) का ज्ञान तथा अन्य बातों के समान होने पर ही कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने निम्नानुसार शैक्षिक अर्हता पूर्ण कर ली हो।

(एक) 15 प्रतिशत ऐसे कार्मिकों में से, जो न्यूनतम हाई स्कूल परीक्षा अथवा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने की शैक्षिक योग्यता धारित करते हों,

(दो) 10 प्रतिशत ऐसे कार्मिकों में से, जो न्यूनतम इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने की शैक्षिक योग्यता धारित करते हों,

स्तम्भ–1 वर्तमान खण्ड (स्तम्भ– 4)	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा संशोधित खण्ड (स्तम्भ– 4)
	परन्तु यह कि हाई स्कूल उत्तीर्ण श्रेणी के लिए चिन्हित पदों के सापेक्ष पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उन पदों को उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से, पदोन्नति द्वारा भरा जा सकेगा। परन्तु यह कि यदि उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय में समूह "घ" में निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले मौलिक रूप से नियुक्त कर्मी उपलब्ध न हो तो सेवा के समस्त पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की जा सकेगी। (ग) सम्बन्धित कार्यालय में समूह ग के कम्प्यूटर सहायक के न्यूनतम श्रेणी के कुल पदों के 5 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उस कार्यालय के वाहन चालकों जो हाई स्कूल की परीक्षा अथवा उससे उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण हो, में से पदोन्नति द्वारा, निर्धारित चयन प्रक्रिया द्वारा भरा जा सकेगा।

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।